

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2080) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/23/999

दिनांक: 26-09-2023

--: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश :-

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति पत्रांक:एफ.8(06)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2023/2384-92 दिनांक 01.08.2023 तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या- 22/2023-24 के अनुक्रम मे सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आमेट तहसील व ब्लॉक आमेट के 54 कार्य हेतु राशि रू. 167.92 लाख की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक मरम्मत करवाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से स्वीकृति प्राप्त होने से कार्यकारी विभाग से प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

सभी स्वीकृत कार्य कार्यकारी संस्था/विभाग द्वारा करवाये जावेंगे। कार्य को कराने के लिये राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त आदेशों/निर्देशों एवं निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावें।

कार्यकारी विभाग- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड आमेट

(तहसील व ब्लॉक आमेट)

क्र. स.	तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य का नाम	(SDRF) मापदण्डो अनुसार मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या	तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	मादडी-सरदारगढ-देवगढ कि.मी. 0/0 से 40/0	40.00	EE/TS/108/2023-24 Dt.04.08.2023	40.00
2	केलवा-आमेट से सडक किमी 0/0 से 18/300	18.30	EE/TS/92/2023-24 Dt.04.08.2023	18.30
3	सांगठ कला (राजसमन्द) से साहडा-गंगापुर (भीलवाडा) वाया साकरोदा, सरदारगढ-कांगनी जिला सीमा तक कि.मी. 0/600 से 2/00 , 2/500 से 5/0 एवं 5/500 से 15/500	13.90	EE/TS/79/2023-24 Dt.04.08.2023	13.90
4	कुंवारिया-कोशिथल सडक कि.मी. 0/0 से 9/0 से 15/0 से 17/400	6.84	EE/TS/104/2023-24 Dt.04.08.2023	6.84
5	घोसुन्डी-भादला वाया भीलमंगरा सडक किमी. 0/0 से 0/750	0.45	EE/TS/68/2023-24 Dt.04.08.2023	0.45
6	सम्पर्क सडक आगरिया-संपराव का गुडा किमी 0/0 से 6/00	3.60	EE/TS/82/2023-24 Dt.04.08.2023	3.60
7	आमेट-डेकवाडा वाया साकरडा से जिला सीमा तक किमी 3/500 से 6/0 एवं 15/0 से 17/250	2.85	EE/TS/69/2023-24 Dt.04.08.2023	2.85

8	सेलागुडा-ढेलाणा-गोवल-कितेला सडक कि.मी. 6/0 से 16/0	6.00	EE/TS/109/2023-24 Dt.04.08.2023	6.00
9	पिपलिया चौराहा से दोवडा कि.मी 0/0 से 2/500	1.50	EE/TS/89/2023-24 Dt.04.08.2023	1.50
10	साकरडा से सरदारगढ वाया जिलोला-भादला सडक कि.मी 0/0 से 6/0	3.60	EE/TS/78/2023-24 Dt.04.08.2023	3.60
11	सम्पर्क सडक बाण्डा किमी 0/0 से 1/0	0.60	EE/TS/90/2023-24 Dt.04.08.2023	0.60
12	पाटिया खेडा से कोलाखेडा वाया सेफटीया किमी 0/0 से 4/0	2.40	EE/TS/77/2023-24 Dt.04.08.2023	2.40
13	चावण्ड खेडा चौराया से नाबरिया वाया कुलांची सडक किमी 0/0 से 5/0	3.00	EE/TS/116/2023-24 Dt.04.08.2023	3.00
14	नाडियावाडा से सिरोडी- जेतपुरा सडक किमी 1/500 से 3/500	0.90	EE/TS/91/2023-24 Dt.04.08.2023	0.90
15	काबरी से जेतपुरा वाया सिमाल धनोली किमी 0/0 से 10/600	6.36	EE/TS/102/2023-24 Dt.04.08.2023	6.36
16	सेगनवास से मालीखेडा किमी 0/0 से 2/250	1.35	EE/TS/72/2023-24 Dt.04.08.2023	1.35
17	आमेट से गादरोला-ताणवाण किमी 3/400 से 5/400	1.20	EE/TS/114/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
18	माकरडा से पारडी वाया राछेटी डिडवाणा सडक किमी 0/0 से 10/0	6.00	EE/TS/98/2023-24 Dt.04.08.2023	6.00
19	काबरी महादेव से काबरी सडक किमी 0/0 से 1/100	0.66	EE/TS/120/2023-24 Dt.04.08.2023	0.66
20	सम्पर्क सडक बुकरडा किमी 0/0 से 1/500	0.90	EE/TS/119/2023-24 Dt.04.08.2023	0.90
21	सम्पर्क सडक दुदालिया किमी 0/0 से 1/500	0.90	EE/TS/76/2023-24 Dt.04.08.2023	0.90
22	पाटिया खेडा से सरेवडी जिला सीमा तक किमी 0/0 से 1/0	0.60	EE/TS/115/2023-24 Dt.04.08.2023	0.60

23	गलवा-देवरिया-झौर सडक किमी 0/0 से 4/750	2.85	EE/TS/101/2023-24 Dt.04.08.2023	2.85
24	ओलनाखेडा से सारणिया खेडा वाया गोरेला कुंआ सडक किमी 0/0 से 3/0	1.80	EE/TS/75/2023-24 Dt.04.08.2023	1.80
25	सम्पर्क सडक आंगलगांव किमी 0/0 से 2/300	1.38	EE/TS/80/2023-24 Dt.04.08.2023	1.38
26	गोवलिया से देवली सडक किमी 0/0 से 0/880	0.53	EE/TS/118/2023-24 Dt.04.08.2023	0.53
27	सम्पर्क सडक जाटिया खेडा सडक किमी 0/0 से 1/500	0.90	EE/TS/99/2023-24 Dt.04.08.2023	0.90
28	सम्पर्क सडक भोलीखेडा से माकरडा वाया बल्लो का खेडा किमी 0/0 से 6/700	4.02	EE/TS/97/2023-24 Dt.04.08.2023	4.02
29	नारुजी का गुडा से हाक्यावास सडक किमी 0/0 से 3/0	1.80	EE/TS/105/2023-24 Dt.04.08.2023	1.80
30	सेलागुडा से खारा सडक किमी 0/0 से 4/500	2.70	EE/TS/112/2023-24 Dt.04.08.2023	2.70
31	सम्पर्क सडक चांपा का गुडा किमी 0/0 से 1/0	0.60	EE/TS/95/2023-24 Dt.04.08.2023	0.60
32	खाखरमाला से टणका सडक किमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/93/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
33	सम्पर्क सडक वीरवास किमी 0/0 से 1/600	0.96	EE/TS/117/2023-24 Dt.04.08.2023	0.96
34	सम्पर्क सडक बाघपुरा किमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/100/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
35	सम्पर्क सडक शम्भूपुरा किमी 0/0 से 4/600	2.76	EE/TS/103/2023-24 Dt.04.08.2023	2.76
36	सम्पर्क सडक धनकपुरा किमी 0/0 से 1/100	0.66	EE/TS/67/2023-24 Dt.04.08.2023	0.66
37	सम्पर्क सडक बरजाल किमी 0/0 से 2/300	1.38	EE/TS/70/2023-24 Dt.04.08.2023	1.38

38	सम्पर्क सडक आंजनेश्वर महादेव (देवडो का गुडा) सडक किमी 0/0 से 3/0	1.80	EE/TS/111/2023-24 Dt.04.08.2023	1.80
39	आईडाणा से डाबला किमी 0/0 से 2/250	1.35	EE/TS/86/2023-24 Dt.04.08.2023	1.35
40	डेकवाडा से सबलो का खेडा किमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/74/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
41	सम्पर्क सडक रेबारियो की ढाणी किमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/110/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
42	मेनरोड से भामरियो का वाडा किमी 0/0 से 1/0	0.60	EE/TS/73/2023-24 Dt.04.08.2023	0.60
43	सियाणा से खटीकों की भागल (भील बस्ती) किमी 0/0 से 3/0	0.90	EE/TS/88/2023-24 Dt.04.08.2023	0.90
44	आंजनेश्वर महादेव सडक से देवडो का गुडा (मिसिंग लिंक) किमी 0/0 से 1/500	0.90	EE/TS/94/2023-24 Dt.04.08.2023	0.90
45	पर्वती से उदावतो का खेडा किमी 0/0 से 2/500	1.50	EE/TS/85/2023-24 Dt.04.08.2023	1.50
46	भोलीखेडा से किशनपुरिया सडक किमी 0/0 से 3/0	1.80	EE/TS/71/2023-24 Dt.04.08.2023	1.80
47	हाक्यावास से बीकावास माताजी किमी 0/0 से 3/500	2.10	EE/TS/106/2023-24 Dt.04.08.2023	2.10
48	सम्पर्क सडक लोट का गुडा वाया चतराजी का गुडा किमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/87/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
49	गुगली से ओडा गुजरान किमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/81/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
50	सम्पर्क सडक विविध मार्बल से सुमाडिया किमी 0/0 से 2/0	1.02	EE/TS/84/2023-24 Dt.04.08.2023	1.02

51	नारुजी का गुडा से ननाणा वाया डेगाणा-चौकडी किमी 3/500 से 7/0	2.10	EE/TS/96/2023-24 Dt.04.08.2023	2.10
52	सम्पर्क सडक गुमानसिंहजी का गुडाकिमी 0/0 से 1/0	0.60	EE/TS/113/2023-24 Dt.04.08.2023	0.60
53	सियाणा से माताजी की भागलकिमी 0/0 से 1/0	0.60	EE/TS/83/2023-24 Dt.04.08.2023	0.60
54	आमेट नगर-पो बाग से भोपालपुराकिमी 0/0 से 2/0	1.20	EE/TS/107/2023-24 Dt.04.08.2023	1.20
	<b>योग ब्लॉक आमेट</b>	<b>167.92</b>		<b>167.92</b>

(अक्षरे रूपये एक करोड़ सड़सठ लाख बानवे हजार मात्र)

**नोट - कार्यकारी विभाग द्वारा निम्नांकित निर्देशों/शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।**

- विभाग द्वारा प्रति किमी. की दर से राशि का निर्धारण एस0डी0आर0एफ0 नॉर्म्स अनुसार किया गया है, अतः सा0नि0 विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सडको की मरम्मत पर नहीं करे।
- प्रस्ताव में उन्ही सडको की मरम्मत करवायी जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
- वे सडके जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी कीमत एस.डी.आर.एफ से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
- कार्यकारी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों की अविलम्ब निविदा कर कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावे। बिल में विलम्ब होने पर भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।
- कार्यकारी संस्था, उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ, ग्रामीण कार्य निर्देशित के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे एवं आपदा प्रबन्धन सहायता एवं ना.सु विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार कार्य किया जावे।
- क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है तो उक्त सडकों की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावे।
- उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एस.डी.आर.एफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
- प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे कि क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि कार्य एवं व्यय

- सरकारी रीति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
12. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न बजट मद से किया जायेगा-
- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 02 - बाढ़, चक्रवात आदि
- 106 - खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (08) - (बाढ़ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
- [01] - [सडकों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना]
- 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत व राज्य निधि 25 प्रतिशत)

जिला कलेक्टर  
(आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0 विभाग)  
राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2080) बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/23/1000-10/0

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक: 26-09-2023

01. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
02. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।
03. जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द ।
04. उपखण्ड अधिकारी आमेट
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त राजसमन्द ।
06. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड आमेट
07. विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेट ।
08. सहायक अभियन्ता, सा. निर्माण विभाग, उपखण्ड आमेट ।
09. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द/आमेट ।
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द ।

जिला कलेक्टर  
(आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0 विभाग)  
राजसमन्द